न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 38/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1 तेजसिंह पुत्र मादा जाति राजपूत निवासी पादरली तहसील आहोर		1 खेताराम पुत्र भगाराम जाति कुम्हार निवासी पादरली तहसील आहोर हाल महावीर बस्ती, तख्तगढ़ तहसील सुमेरपुर 2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री प्रवीण कुमार घांची, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 348/2015 बअनवान खेताराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट एवं अपीलाण्ट के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर में प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ :'अ' में ए. से बी. 6 मीटर चौडा एवं 32 मीटर लम्बा रास्ता अपीलाण्ट के खेत में आवागमन हेतु दिया गया है, जिसके स्थान पर खसरा नम्बर 75 में से खसरा नम्बर 76 की माठ की तरफ 3 मीटर चौडा एवं 32 मीटर लम्बा रास्ता प्रदान कराने का राजीनामा हुआ है। उक्त 3 मीटर चौडे एवं 32 मीटर लम्बे रास्ते की देय राशि अपीलाण्ट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट से प्राप्त कर ली है। अब जरिये राजीनामा परिशिष्ठ 'अ' में खसरा नम्बर 75 की माठ से लगता 32 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा रास्ता रेस्पोडेन्ट को दिये जाने का राजीनामा प्रस्तुत किया तथा इसी अनुसार अपील आंशिक स्वीकार कराने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा पक्षकारान् रास्ता दिये जाने हेतु सहमत है। अतः अपीलाण्ट की अपील माफिक राजीनामा निस्तारण योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील माफिक राजीनामा आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 348/2015 खेताराम बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 को आंशिक निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में दर्शित खसरा नम्बर 74 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 75 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 3 मीटर चौडा एवं 32 मीटर लम्बा मार्ग, जो परिशिष्ठ 'अ' में मार्क ए0 से बी0 दर्शित है, को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त परिशिष्ठ 'अ' इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। तद्नुसार तहसीलदार आहोर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें तथा नक्शे में तरमीम कर पालना करें। निर्णय की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार आहोर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे तथा न्रिर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-4-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर